न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–75 / 2018
GCMS NO:- 2018/00157

दायर दिनांक: 22.06.2018
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हरपाल आ0 रामचन्द्र जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ।

– वादी

बनाम

बनवारी आ0 लच्छया जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 22)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एवं 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीणा।
प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।
प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 204 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 204, 217, 279, 356, 358, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 375 कुल किता 12 कुल रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी व वादी की बहिन बच्ची उर्फ धोली व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 की खातेदारी भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन कर रखा है तथा विभाजनानुसार खसरा नम्बर 358 वादी के हिस्से मे आयी हुई है। वादी व प्रतिवादीगण अपने कब्जे अनुसार उक्त भूमि का उपभोग व उपयोग करते चले आ रहे है।

यह कि वादी अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए वर्षो से निकल रहे रास्ते को काम मे लेता आ रहा है। उस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 वादी से रंजिश रखते है तथा वादी को आये दिन नुकसान पहुंचाने की फिराक मे रहते है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते को दिनांक 15.6.2018 को डोल लगाकर अवरूद्व कर बन्द कर दिया। जब इसकी जानकारी वादी को लगी तो वादी भागकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पास गया और रास्ते को बहाल करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी कहने लगा कि यहां पर कोई रास्ता नही है और ना ही रास्ता नक्शे मे तरमीम है। फिर हम आपको रास्ते क्यों दे। तो वादी ने कहा कि अगर आप रास्ता बंद कर दोगे तो मेरा खेत पडत रह जावेगा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 कहने लगे कि हमने तो रास्ता बंद कर दिया, अब तुझसे हो सो करले। यही वाद प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित अपनी भूमि पर पहुंचने वाले रास्ते जिसे नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, को बहाल करवाकर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे मे 20 फूट चौडा तरमीम करवाये तथा इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे करवाये। साथ ही वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उक्त रास्ते को डोल लगा कर अवरूद्व नही करे, वादी के आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने मे बाधा कारित नही करें। ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीणा ने वकालातनामा, प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब, प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत द्वारा वकालातनामा व जवाब दावा पेश किया।

आज दिनांक 31.07.2025 को हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि वादी द्वारा जिस खसरा नम्बर 204, 217, 279, 356, 358, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 375 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पट्टावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ